

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल
डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 0141-2705483

Mail ID -rajssa_plan@yahoo.co.in

क्रमांक:- रास्कूशिप-जय/योजना/2019-20/11290

दिनांक : 13/3/2020

अत्यावश्यक

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :- सत्र 2018-19 में यू-डाइस भरने से वंचित रहे विद्यालयों के संबंध में।
संदर्भ :- परिषद कार्यालय का पत्र क्रमांक 10979 दिनांक : 02.03.2020

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ अन्तर्गत लेख है कि सत्र 2018-19 में यू-डाइस भरने से वंचित रहे विद्यालयों को यू-डाइस पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि यू-डाइस भरने से वंचित रहे विद्यालयों की डाटा प्रविष्टि का कार्य 20-03-2020 तक पूर्ण कर लिया जाये। इसके पश्चात किसी भी विद्यालय को यू-डाइस 2018-19 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यूजर अपने वर्तमान लॉगिन आई-डी एवं पासवर्ड जो 2019-20 में उपयोग में लिये जा रहे हैं से लॉगिन कर सकते हैं। यदि पासवर्ड परिवर्तित किया जाता है तो यह नीचे दिये गये लिंक में प्रदर्शित होने में 24 घण्टे का समय लेगा।

Link: <http://164.100.77.133/udise1819/home>

अतः यू-डाइस 2018-19 में वंचित रहे विद्यालयों की डाटा प्रविष्टि 20-03-2020 तक कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि विद्यालय सत्र 2018-19 में बन्द है तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अतः विद्यालय का भौतिक सत्यापन उपरान्त विद्यालय बन्द का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

www.rajteachers.com

13/3/20
(एम.आर. बागडिया)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा व भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. ADPC, समग्र शिक्षा, समस्त जिलों को प्रेषित कर लेख है कि समयसीमा में कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करे।
4. रक्षित प्रति।

13/3/20
उपायुक्त (डाइस)